

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०- 553/2020

इस कार्यालय का पत्रांक ka/283/Mech./IRIT/Gr.D/SEE/भाग-II दिनांक- 13.07.2020 एवं मरेप्र/का/वाराणसी/पूर्वोत्तर रेलवे का पत्रांक-का०/283/पा०स्था०/अरे०अम०/IV दिनांक- 21.09.2020 द्वारा श्री युगांक मोर्या ,हेल्पर समाडी/बरौनी एवं श्री प्रणव आनंद,हेल्पर समाडी/छपरा, पूर्वोत्तर रेलवे के बीच जीपी-1800 लेवल-1 में अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों रेल की सहमति प्राप्त है। अतः रेल परिषद् के पत्र सं०-ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.2018 के आलोक श्री युगांक मोर्या,हेल्पर समाडी/बरौनी को पारस्परिक स्थानांतरण पर वाराणसी/पूर्वोत्तर रेलवे विरमित किया जाना है।

कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित करे:-

- (I) विरमन के समय कर्मचारी DAR/SPE/Vig केश से मुक्त हो।
- (II) नियमानुसार दोनों कर्मचारीयो को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/ स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- (III) नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
- (IV) वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(बिजय इंजीनियर)

सकाधि-III

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर

दिनांक:- 13.10.2020

सं०:- का/283/अरे०अम०/स्थानांतरण/यांत्रिक/समाडी/सोन

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.वमयाई/समाडी/सोनपुर

02.मरेप्र/का०/वाराणसी

03.सयाई/बरौनी

04.सम्बंधित कर्मचारी


13.10.2020

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर